1833 का चार्टर एक्ट

1813 तथा 1833 के चार्टर एक्ट के मध्य 20 वर्षों में इंगलैंड में बहुत परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति ने देशवासियों के जीवन स्तर में परिवर्तन ला दिए। लोगों ने नई स्वतंत्रता का अनुभव किया। अतः वर्ग चेतना ने अंग्रेजी राजनीति को एक नई दिशा दी।

1830 ई० में Britain में whig ह्विग दल की सरकार बनी जिसने उदारवादी नीतियों के द्वार खोल दिए। मानव की प्रतिष्ठा और गरिमा को मान्यता दी जाने लगी तथा यथेच्छाचारिता (Laissez Faire) के सिद्धान्त को अधिक स्वीकृति दी जाने लगी।

ऐसे वातावरण में संसद के पास कंपनी के आज्ञा पत्र (Charter) के नवीनीकरण का प्रश्न आया। संसद में यह प्रस्ताव आया कि कंपनी को समाप्त कर देना चाहिए और ब्रिटिश ताज को भारत का प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लेना चाहिए। लेकिन संसद इसके पक्ष में नहीं था वह Lord मेकॉले के इस विचार से सहमत था कि कंपनी का प्रशासन बना रहना चाहिए, यद्यपि इसके आधार में परिवर्तन की जाए। Lord मेकॉले उन दिनों नियंत्रण बोर्ड के सचिव थे और जेम्स मिल, विख्यात इतिहासकार इंडिया हाउस (India House) के पत्राचार के परीक्षक थे। अतः 1833 के चार्टर Act में इनके मन्तव्यों के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। 28 Aug 1833 को चार्टर अधिनियम पास कर EIC के अधिकार को 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण ~~कर~~ कर दिया गया।

1833 का चार्टर एक्ट -

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान एवं परिवर्तन इस प्रकार थे:

(अ) गृह-शासन में परिवर्तन:

(i) कम्पनी को अपने अधीन प्रदेशों पर प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियाँ 20 वर्षों के लिए प्रदान कर दी गई।

(2) कम्पनी के लिए यह आवश्यक बनाया गया कि वह यथाशीघ्र अपने वाणिज्यिक व्यवसाय को बन्द करे जिससे कि वह प्रशासन के कार्यों पर ही पूरा ध्यान लगा सके।

(3) यूरोपियनों को भारत में आने की आज्ञा तथा भूसम्पत्ति हासिल करने की छूट दी गई।

(4) नियंत्रण मंडल (Board of Control) के संविधान में कुछ परिवर्तन लाए गए। अब अंग्रेजी सरकार के सभी प्रमुख मंत्रियों को सम्मिलित कर लिया गया, परंतु वास्तविक शक्ति एक छोटे से दल के पास थी जिसके अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण था। नियंत्रण मंडल सरकारी और राजस्व संबंधी कानूनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कर सकता थी।

कौंसिल के Lord President, Lord Privy Treasury के प्रधान लार्ड, राज्य के प्रधान सचिव (Chancellor of the Exchequer) भारतीय मामलों के पदेन कमिश्नर नियुक्त किए गए।

(ख) भारत में कंपनी के केन्द्रीय शासन में कुछ परिवर्तन –

(1) भारत में प्रशासन का केन्द्रीयकरण किया गया। सभी विधायी शक्तियाँ गवर्नर जनरल और उसके कौंसिल में निहित किया गया। उसे भारत का सपरिषद गवर्नर-जनरल कहा गया।

(2) भारत में कम्पनी के सम्पूर्ण प्रदेशों के नागरिक और सैनिक शासन के ऊपर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित किए गए। बम्बई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य प्रदेश सपरिषद गवर्नर जनरल के पूर्णतया अधीन कर दिए गए। प्रशासन और वित्त की सभी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथ में थी।

(3) इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की कौंसिल में एक चौथा साधारण सदस्य जोड़ा, जो कानूनी सदस्य (Law Minister) कहलाया। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। इस गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल को विधायिका के मामलों में सहायता देता था। यह कोई अंग्रेज न्यायविद ही बन सकता था। मैकाले को कौंसिल का प्रथम कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था।

4) सपरिषद गवर्नर जनरल को एक भारतीय कानून आयोग नियुक्त करने (Indian Law Commission) नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी। जो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और नियमों की जाँच करने का कार्य, सभी कानूनों की प्रकृति और पुलिस व्यवस्था की भी जाँच करने

इस आयोग ने कई रिपोर्ट प्रस्तुत की जिनमे मैकॉले द्वारा तैयार किया गया पैनल सबसे प्रसिद्ध है।

प्रांतीय सरकारों के क्षेत्र में परिवर्तन

(1) मद्रास और बम्बई प्रांतों को विधि निर्माण शक्ति से वंचित कर दिया गया, क्योंकि सभी विधि-निर्माण शक्तियाँ भारत के सपरिषद गवर्नर-जनरल में निहित की गई थी।

(2) वित्तीय मामलों में भी प्रांतीय सरकारों को सपरिषद गवर्नर-जनरल के अधीन रखा गया।

(3) अधिक कुशल प्रशासन के हित में बंगाल प्रांत को दो प्रांतों — फोर्ट विलियम की प्रेसीडेन्सी और आगरा की प्रेसीडेन्सी में विभाजित किया गया।

(4) अब बंगाल की फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी, बम्बई की फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसीडेंसी तथा आगरा की प्रेसीडेंसी को सपरिषद गवर्नर के शासन के अधीन रखा गया। ~~है~~ जो भी कानून बनवाना चाहें उसे सुझाव हेतु गवर्नर जनरल को प्रस्तुत करें क्योंकि यह अधिकार गवर्नर जनरल को ही था।

(5) प्रांतीय सरकार को भी सभी आदेशों तथा अधिवेशनों की प्रतिलिपियाँ गवर्नर जनरल के पास भेजना अनिवार्य था। यद्यपि वे सीधे संचालक मंडल से पत्राचार कर सकती थीं लेकिन उन पत्रों की एक प्रतिलिपि गवर्नर जनरल के पास भेजनी थी।

5/ संचालक मंडल को यह आदेश था कि वह ब्रिटिश संसद को भारत में कंपनी दौलत की वार्षिक आय का ब्यौरा दे।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

अधिनियम के सेक्शन 87 के अन्तर्गत मूल जातीय अयोग्यता को दूर किया गया। किसी भी भारतीय को केवल उसके धर्म, जन्म स्थान, उदभव या उनमें से किसी भी एक आधार पर कंपनी के अन्तर्गत किसी भी पद या नौकरी के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा।

2- भारत में दास-प्रथा का अन्त करने के लिए भी प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी और सपरिषद गवर्नर जनरल को इस दिशा में पग उठाने को कहा गया था। इसके 10 वर्ष पश्चात् 1943 के अधिनियम धारा 5 द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी गई।

3 - भारत में धर्माधिकारियों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई और कलकत्ता के बिशप को इनका प्रधान बना दिया गया।

4। कंपनी के लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए हेलीबरी कॉलेज में व्यवस्था की गई।

5/ कंपनी का नाम EIC कर दिया गया पहले इसका नाम 'The United of England Merchants of trading to the EIC था।

महत्व —

1833 का चार्टर अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक अति महत्वपूर्ण युगान्तकारी घटना थी। इसके द्वारा भारतीय शासन-पद्धति और भारतीयों को नौकरी दिए जाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम का महत्व निम्नलिखित कारणों से बहुत था :

(1) कम्पनी का वाणिज्यिक व्यवसाय बन्द कर दिया गया। कंपनी पूर्णतः एक प्रशासन करने वाला निकाय बन गई और इसके हाथ में केवल राजनीतिक कार्य ही रह गए।

(2) इसके द्वारा भारत के शासन में एकता और सम्बद्धता प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि इसने सम्पूर्ण

विधायी शक्ति सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित की और गवर्नर-जनरल अब बंगाल का न कहलाकर भारत का कहलाने लगा। इस प्रकार विधायी केन्द्रीकरण एवं प्रशासन में अधिक एकरूपता ~~आई~~ आयी।

(3) इसके द्वारा पहली बार विधायी कार्य को कार्यकारी कार्य से पृथक किया गया। इसी उद्देश्य से कानूनी सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया जिसे विधि निर्माण करने वाली बैठकों में उपस्थित होने व मतदान करने का अधिकार मिला। भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून भविष्य में एक्ट (Act) कहलाए, जबकि प्रान्तीय सरकारों द्वारा बनाए गए कानून 'विनियम' (regulations) कहलाते थे। साथ ही इसने एक 'विधि आयोग' के नियुक्त किए जाने के लिए व्यवस्था की। ~~के~~ गवर्नर जनरल को विधि आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार मिला ताकि भिन्न कानूनों का अध्ययन, संकलन तथा संहिताबद्ध करें। इसके फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता अस्तित्व में

में आई जो आज भी भारत में देश विधान का आधार बना।

4) इस अधिनियम का भारतीयों के लिए विशेष महत्व इस बात में था इसने भारतीयों द्वारा सरकारी नौकरियाँ पाने के बारे में ब्रिटिश सरकार की नीति को निहित किया। मैकॉले ने इस प्रावधान को 'बुद्धिमतापूर्ण, हितकारी और उच्च भावना से प्रेरित बताया।

5) इस अधिनियम ने दासता के उन्मूलन के लिए भी व्यवस्था की।

6) इसके द्वारा डायरेक्टरों की पदों पर नियुक्तियाँ करने की शक्ति (Power of Patronage) को कम किया गया क्योंकि इसने कम्पनी के नागरिक सेवकों की भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगिता की व्यवस्था की।

contd

(ब) (2) विधि निर्माण संबंधी अधिकार -

1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया का भी केन्द्रीयकरण हो गया। 1833 से पूर्व 5 प्रकार के भिन्न-भिन्न कानून भारत में लागू थे जो कई बार परस्पर विरोधी थे तथा उनकी भाषा अस्पष्ट थी। उदाहरणस्वरूप ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट, सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानून जिन्हें रेग्यूलेशन्स कहा जाता था, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञाएं तथा भिन्न प्रेसीडेन्सियों द्वारा बनाए गए कानू समस्त भारत में प्रचलित थे। अतः इस अवस्था को दूर करने के लिए सपरिषद गवर्नर जनरल को समस्त भारतीय प्रदेशों के लिए विधि निर्मा का अधिकार दिया गया। एक ही दंड संहिता की आवश्यकता पर बल दिया गया क्योंकि बहुत से अंग्रेज भारत के विभिन्न भागों में बसने लगे और कंपनी से संबंधित राजाओं के प्रदेश में कार्य करते थे। उसे किसी कानून को रद्द कर सकता था या संशोधन कर सकता था। यह सैनिक अनुशासन संहिता तथा युद्ध नियमावली भी बना सकता था और न्याय प्रशासन के लिए भी व्यवस्था कर सकता था।

परंतु उसे कंपनी के संविधान, चार्टर एक्ट, क्राउन के विशेषाधिकारों (Prerogatives) को या संसद के बनाए कानूनों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं था, न ही वह विद्रोह अधिनियम (Mutiny Act को बदल सकता था।

कार्ल मार्क्स का विचार है कि 1833 के अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड को अधिक शक्तिशाली बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामियों (Proprietors) को ईस्ट इंडिया के राजस्व के केवल बंधकग्राही (mortgages) ही बना दिया, कंपनी को अपना पूंजी पत्र बेचान की काबर कर दिया। इसका व्यापारिक अस्तित्व विलय कर दिया और इसका जहां तक राजनीतिक संबंध था, केवल न्यासकारी (trustee) में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार E I C के साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा कि कंपनी पूर्व भारतीय राजाओं के साथ किया करती थी

इतिहासकार S.R. Sharma ने लिखा है कि, एक्ट ने यह घोषणा कर दी कि भारत में कंपनी किसी भारतीय प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा रंग के कारण किसी सेवा से वंचित नहीं ~~रखेगा~~ करेगा ~~रखा~~ जाएगा।

परन्तु भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता था जिसका वार्षिक वेतन £500 अथवा इससे अधिक हो, जब तक कि इस पद के लिए इंगलैंड में निदेशक उसे मनोनीत न करें।

इस चार्टर अधिनियम ~~के~~ ने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया कि कंपनी के निदेशक भारतीयों को संश्रावित सेवा (covenanted Service) के लिए मनोनीत करें।

इस घोषणा के होते हुए भी सैनिक अथवा असैनिक विभागों में छोटे 2 पदों को छोड़कर भारतीय लोग वंचित ही रहे। जब सैनिक विद्रोह हुआ तो भारत में कहीं भी कोई भारतीय 2000 रु० वार्षिक से अधिक वेतन पाने वाले पद पर नियुक्त नहीं था।

टिप्पणी : भारत के संविधान का प्रशासनिक संवैधानिक महत्व है। यह कठिन प्रशासनिक त्रुटियों को दूर करने, [illegible] न्याय, की संवैधानिक स्वीकार्यता स्थापित करने, कानून के शासन में पारदर्शिता लाने, नागरिकों के [illegible] से निर्णय को दूर करने, प्रशासनिक पारदर्शिता कायम करने तथा [illegible] लोगों की जवाबदेही स्थापित करने का काम करता है।